<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>13.02.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा में 28.54 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेसर्स हेलियस ट्यूबएलॉयज प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर किया है।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, गांधीनगर द्वारा मेसर्स हेलियस ट्यूबएलॉयज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 120-बी और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

पीएमएलए के तहत की गई जांच में यह स्थापित हुआ कि कंपनी मेसर्स हेलियस ट्यूबएलॉयज प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों ने बैंक ऑफ बड़ौदा को 28.54 करोड़ रुपये का धोखा दिया है। उन्होंने बैंक की धनराशि को बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन के अपनी सहयोगी कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया। इसके अलावा, कंपनी ने ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों को फर्जी लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) जारी किए थे। निदेशकों ने जानबूझकर कंपनी के फर्जी स्टॉक विवरण और खाता बही प्रस्तुत किए, जिसका उद्देश्य बेईमानी से बैंक ऑफ बड़ौदा को 28.54 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाना था।

जांच के दौरान विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर, **19.37 करोड़ रुपये** मूल्य की अचल संपत्तियों को अटैच करने का अंतरिम कुर्की आदेश भी जारी किया गया।

आगे की जांच हो रही है।